न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-288RAAJodhpur2024-111RTA223 Satar khan Vs Alladin etc

सतार खां पुत्र श्री हुसैन खॉ, जाति मुसलमान
निवासी बरकत कॉलोनी फलोदी, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. *अलादीन पुत्र रमजान खाँ*
2. *मजीद पुत्र रमजान खॉ*
3. *सदाम हुसैन पुत्र रमजान खॉ*
4. *मुबारक पुत्र हुसैन खाँ*
5. *कमरदीन पुत्र हुसैन खॉ फौत के कायम मुकामः -*
   5.1. *जेतून पत्नी कमरदीन*
   5.2. *हबीब पुत्र कमरदीन*
   5.3. *सप्रिया खातु पुत्री कमरदीन*
   5.4. *मदीना पुत्री कमरदीन*
   5.5. *यासमीन पुत्री कमरदीन*
   5.6. *जरीना पुत्री कमरदीन*
6. *इलाहीबक्स पुत्र हुसैन खॉ*
   सभी जातियान मुसलमान निवासी बरकत कॉलोनी फलोदी।
7. *बीजे खॉ पुत्र कमरदीन जाति मिरासी निवासी-एका भाटीयान तहसील फलोदी व जिला फलोदी।*
8. *पप्पूकवर उर्फ पप्पूदेवी पत्नी आसूसिंह, जाति रावणा राजपूत, निवासी इन्द्रा कोलोनी, फलोदी।*
9. *राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी*

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02 जनवरी 2024 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 22/2021 अलादीन बनाम मजीद इत्यादि

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री गिरधरसिंह भाटी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या एक से छः
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या नौ

नि र्ण य

दिनांक : 16 मई 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 22/2021 अनवान अलादीन बनाम मजीद इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02 जनवरी 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 30 जुलाई 2024 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 49 रकबा 4. 11 बीघा एवं खसरा नंबर 51 रकबा 220.11 बीघा ग्राम कानासरिया तहसील फलोदी के संबंध में धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26 सितंबर 2023 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश दिया गया। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02 जनवरी 2024 के जरिये वाद स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए सर्वप्रथम कथन किया कि प्रारम्भिक डिकी व अन्तिम डिकी में समान पक्षकार होने के कारण तथा एक ही वाद से संबंधित होने के कारण अलग अलग अपील प्रस्तुत नहीं कर एक साथ अपील प्रस्तुत की गई है, जिसकी अनुमति अपीलार्थी माननीय न्यायालय से प्राप्त करने का

अधिकारी है। तत्पश्चात वकील अपीलांट ने अपनी बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी व अन्य प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये थे। अपीलांट पर नोटिस तामिल होने पर उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए, जिनके द्वारा जवाब समय पर प्रस्तुत नही किया गया तथा उसकी सूचना अपीलार्थी को नही दी गई। तत्पश्चात अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिनाक 03-07-2023 को नो-इन्सट्रक्शन प्लीड किया गया, जिसके संबंध में भी किसी तरह का नोटिस अपीलार्थी को न्यायालय द्वारा प्रेषित नहीं किया गया। अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलांट अपना पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं रख सका। उक्त तथ्यों से साबित होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकिया अपनाये बिना ही आलोच्य निर्णय व डिकी पारित किये है जो अपास्त किये जाने योग्य है। विधिक प्रावधानों अनुसार बंटवाडा प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा ही तैयार किया जा सकता है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है। विधिनुसार बंटवाडा प्रस्ताव सक्षम अधिकारी द्वारा नियम 18 से 21 की पालना किये बिना तथा अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार किया तथा सड़क का संपूर्ण भाग रेस्पोडेंट संख्या एक को दे दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा विधि-विरुद्ध तैयार विभाजन प्रस्ताव अपीलांट को आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित कर दी जो अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना तथा उसके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाये बिना ही आलौच्य निर्णय व डिक्री पारित किये जाने से अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नहीं हो सकी। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अपीलांट को

वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर कब्जा कर लेने की धमकी दिये जाने पर वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से आलौच्य निर्णय एवं डिक्री की नकल हेतु दिनांक 26-07-2024 को आवेदन किया जो नकल तैयार होकर दिनांक 26-07-2024 को प्राप्त हुई। उक्त नकल को प्रथम बार पढने पर जानकारी हुई तथा अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील तैयार करवाकर जानकारी से अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा जानबूझकर या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई देरी नहीं की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का माफ किया जाकर गुणावगुण पर अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 26 सितंबर 2023 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02 जनवरी 2024 को अपास्त फरमाया जावे एवं मामला अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने पर वह जरिये अधिवक्ता विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया था। तहसीलदार फलोदी द्वारा नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव उभय पक्ष की उपस्थिति में उभय पक्ष के कब्जे काश्त अनुसार तैयार किया गया है तथा सभी काश्तकारों के हिस्से में रखी गई भूमि के लिए रास्ते का प्रावधान रखा गया है। मौके पर सभी पक्षकारान् के अपने-अपने हिस्से में ट्यूबवेल खुदे हुए है। यह

उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा विभाजन में अपने नाम दर्ज हिस्से से 04 बीघा जमीन कम ली गई है तथा विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट के अलावा सभी पक्षकार सहमत है। विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त अपीलांट का पुत्र मौके पर हाजिर रहा है तथा विभाजन प्रस्ताव पर उसके हस्ताक्षर मौजूद है, जिससे साबित है कि अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की शुरूआत से ही जानकारी रही है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील विलंब से पेश की गई है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में मिथ्या कथन किये गये है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है, मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 26 सितंबर 2023 के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अद्यतन जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हिस्से अनुसार ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर तहसीलदार फलोदी से नियम 18 से 21 की पालना करते हुए मौके पर पक्षकारान् के कब्जे काश्त अनुसार बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के आदेश दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान् के जमाबंदी में दर्ज हिस्सों के संबंध में किसी प्रकार का फेरबदल नही किया गया है। ऐसी स्थिति में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन मुताबिक तहसीलदारं फलोदी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में स्वयं मौके पर जाकर उभय पक्ष को सम्यक रूप से सूचित कर उनकी उपस्थिति में मौके पर पक्षकारान् के कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना पाया जाता है। विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान् सहित अपीलांट के पुत्र कामस खां पुत्र सतारखां के मय मोबाईल नंबर हस्ताक्षर मौजूद है। विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है।

अपीलांट का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट पर सम्मन की सम्यक तामील करवाये जाने पर वह जरिये अधिवक्ता विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ है। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा नो-इंस्ट्रक्शन प्लीड किये जाने पर अपीलांट की जिम्मेदारी बनती थी कि वह विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना नया अधिवक्ता नियुक्त करे अथवा स्वयं अपना पक्ष रखे। अपीलांट द्वारा अपने दायित्व का पालन किये जाने के बजाय विचारण न्यायालय पर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने का आरोप लगाया गया है जो विधिसम्मत नहीं है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधिसम्मत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में अीपलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री मे हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 22/2021 अनवान अलादीन बनाम मजीद इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 26 सितंबर 2023 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 02 जनवरी 2024 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर